

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार पटना।

प्रेस-विज्ञप्ति

सं0सं0-4 / फार्मा-14-05 / 2014 - 716(4)

/पटना, दिनांक- 16/07/2015

विज्ञापन सं0-01/99 के अंतर्गत बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा फार्मासिस्ट के पद पर अनुशासित अभ्यर्थियों के कागजात/अभिलेख का सत्यापन दिनांक-15.09.2014 से 26.09.2014 तक किया गया था। उक्त सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पूनः एक अवसर दिया जाता है। दिनांक-30.07.2015 (वृहस्पतिवार) को 12:00 बजे निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार के कार्यालय कक्ष में सत्यापन कार्यक्रम निर्धारित है जिसमें सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नवत है:-

1990560, 1991437, 1990284, 1990633, 1990028, 1990075, 1990802, 1990815, 1990999, 1990586, 1990460, 1990080, 1990701, 1991442, 1991430, 1990173, 1990716, 1990425, 1990856, 1990109, 1990323, 1990465, 1990439, 1991225, 1990383, 1990549, 1991080, 1991252, 1991348, 1991407, 1990475, 1993498, 1990210, 1991328, 1990224, 1990360, 1991239, 1991108, 1990548, 1990247, 1990438, 1990944, 1990904, 1990012, 1923449

अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन हेतु निम्न कागजात/अभिलेख लाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

- (क) बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र की मूल प्रति।
- (ख) स्व0 अभिप्रमाणित दो फोटो ग्राफ।
- (ग) प्रवेशिका एवं अन्तर स्नातक परीक्षा का प्रमाण पत्र।
- (घ) डिप्लोमा एवं उच्चतर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र।
- (ङ) निबंधक प्रमाण पत्र।
- (च) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।
- (छ) विकलांगता प्रमाण पत्र (जिसके लिये लागू हो)।
- (ज) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
- (झ) तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
- (ञ) कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र जिसमें दिये जाने वाले अभिलेखों की सत्यता एवं अपने विरुद्ध किसी भी अपराधिक मामले में संलिप्तता न होने का उल्लेख हो।
- (ट) अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी (केन्द्र अथवा राज्य सरकार) हो तो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No objection certificate)

15/7/15  
(डॉ० राजधारी रंजन)  
निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।